लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2972

18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम अपशिष्ट का निर्यात

2972. डॉ. सी.एन. मंजूनाथ:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि सुविधाओं के अभाव में लगभग 6000 मीट्रिक टन रेशम अपशिष्ट का निर्यात अन्य देशों को किया जाता है और इससे उत्पादित मूल्यवर्धित उत्पादों का हमारे देश में आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में ही रेशम अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए स्पन रेशम मिलों की स्थापना/नवीकरण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे;

(ग) क्या कुछ मौसमों में पी-1 स्तर के मूल अंडों (सीएसआर 2, एफसी 1 और एफसी 2) की आपूर्ति में कठिनाई होती है;

(घ) क्या पी-1 अंडों की आपूर्ति को संपूरित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और सुविधाओं वाले निजी संगठन को अनुमति दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से शहतूत की खेती के लिए खतरा पैदा हो रहा है और इसके क्षेत्रफल में भी कमी हो रही है; और

(च) यदि हां, तो क्या विशेष रेशम उत्पादन क्षेत्र (एसएसजेड) घोषित करने और शहतूत बागानों को कानूनी रूप से संरक्षित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): डीजीसीआईएस, कोलकाता की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान देश से 3348 मीट्रिक टन रेशम अपशिष्ट का निर्यात किया गया।
अन्य देशों से आयात किए जा रहे प्रमुख रेशम उत्पाद सिल्क वेस्ट से बने मूल्यवर्धित उत्पाद न होकर कच्ची रेशम हैं।

सिल्क वेस्ट/स्पन सिल्क का स्वदेशी तरीके से उपयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा असम, बीटीसी और मणिपुर में 3 स्पन सिल्क मिलें स्थापित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सिल्क समग्र-2 योजना के तहत मिनिएचर स्पिनिंग मिल, मोटराइज्ड कम पेडल ऑपरेटेड स्पिनिंग मशीन जैसी छोटी स्पिनिंग मशीनों के लिए भी सहायता दी जा रही है।

(ग) और (घ): पी1 बेसिक बीज का उत्पादन करने के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता आवश्यक है। सिल्कवॉर्म ब्रीड्स की जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखना और उसके फाउंडेशन क्रॉसेस को टू-टू-टाइप ट्रेट्स के लिए बनाए रखना एक सावधानीपूर्ण प्रक्रिया है और यह अगली जेनरेशन के लिए ब्रीड की विशेषताओं को बनाए रखने और गुणवत्ता वाले बीज पैदा करने के लिए आवश्यक है। अतएव, उचित ब्रीड मेंटेनैंस सुनिश्चित करने और जैनेटिक डिटीयोरेशन से बचने के लिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकार के स्तर पर पी1 मूल बीज का उत्पादन किया जाता है।

तथापि, केंद्रीय रेशम बोर्ड पी1 बीजों से बाइवोल्टाइन सीड कोकून उत्पादन और किसानों को आपूर्ति हेतु कमर्शियल सिल्कवॉर्म सीड्स के उत्पादन के लिए पंजीकृत निजी उद्यमियों को बढ़ावा दे रहा है।

अब तक कमर्शियल मलबरी सिल्कवार्म सीड प्रोडक्शन में कार्यशील 342 पंजीकृत बीज उत्पादक (आरएसपी) (निजी उद्यमी) और 5,652 पंजीकृत सीड कोकून उत्पादक (आरएससीपी) मलबरी सीड कोकून उत्पादक उत्पादन में कार्यशील है।

(ङ) और (च): मलबरी की खेती का क्षेत्रफल वर्ष 2014-15 में 219819 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2,63,352 हेक्टेयर हो गया है। चूंकि खेती के क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आई है।

विशिष्ट सेरीकल्चर जोन (एसएसजेड) की घोषणा राज्य सरकार के क्षेत्र में आती है, राज्य सरकारों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****